राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

जयपुर

क्रमांक: रालसा/स्था./लोअमा/2012/19826-60 दिनांक 14.3.2012

प्रेषिति,

अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

जिला एवं सेशन न्यायाधीश

समस्त राजस्थान

विषय : लोक अदालत कार्य के संबंध में कर्मचारियों को मानदेय बाबत्।

प्रसंग :- राज्य सरकार विधि विभाग के आदेश क्रमांक एफ8(1)विधि-2/90 दिनांक 23.2.1991 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्रांक 672 दिनांक 20.2.2010 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर का पत्र क्रमांक 203 दिनांक 6.2.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार विधि विभाग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 23.2.1991 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जो उनके स्वयं के पदीय कार्य के अतिरिक्त लोक अदालत का कार्य करते हैं, को लोक अदालत के संबंध में दो दिन के वेतन के बराबर मानदेय स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश के संबंध में विषमताओं एवं शंकाओं के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर से प्रासंगिक पत्र दिनांक 6.2.2012, अन्य न्यायक्षेत्रों एवं कर्मचारीगण की ओर से राज्य प्राधिकरण को प्राप्त पत्रों तथा इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.2.2010 द्वारा चाहे गये दिशा निर्देशों के क्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुार लोक अदालत कार्य के संबंध में कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृति बाबत् निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. संबंधित अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जिले में पदस्थापित कर्मचारीगण को उनके अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त किये जाने वाले लोक अदालतों के कार्यो के लिए परिपत्र दिनांक 23.2.1991 के संबंध में देय मानदेय के बारे में पृथक से आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करेगें कि कितने कर्मचारीगण द्वारा उनके कार्यो के अतिरिक्त सेवाऐं लोक अदालत के कार्यों के लिए लिया जाना वांछित होगा।
2. यहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाना उचित होगा कि जिन न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरण लम्बित नहीं है (जैसे कि एन.डी.पी.एस., ए.सी.डी. केसेज, एस.सी. व एस.टी. केसेज आदि) अथवा लोक अदालते नहीं लगाई जाती है, के कर्मचारीगण राज्य सरकार के परिपत्र के अधीन कोई मानदेय पाने के अधिकारी नहीं होंगे। साथ ही कर्मचारी यदि संबंधित किसी माह के दौरान अवकाश पर रहता है तथा किन्हीं परिस्थितियों या किसी कारणवश लोक अदालत का कार्य किसी अवधि के दौरान नहीं होता है तो उक्त अवधि के लिये भी मानदेय देय नहीं होगा।

3. परिपत्र दिनांक 23.2.1991 के अधीन राजपत्रित प्राधिकारी / कर्मचारीगण मानदेय प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगे। उक्त मानदेय लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग के लिए ही देय है।

4. परिपत्र दिनांक 23.2.1991 के अनुसार वेतन का आशय केवल मूल वेतन की राशि से ही है, डी.ए. की राशि इसमें शामिल नहीं है।

5. न्यायिक कर्मचारियों को उनके कार्य के अतिरिक्त लोक अदालत में उनकी सेवा लेने के संबंध में लोक अदालत एवं मेगा लोक अदालत के कार्यों के लिए संबंधित प्राधिकरणों/समितियों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जाने चाहिए।

6. जिस अवधि के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहा हो, उस अवधि में लोक अदालत का आयोजन नहीं होने से मानदेय नहीं दिया जावेगा।

7. जिस माह में कर्मचारी उपार्जित अवकाश अथवा अन्य प्रकार के अवकाश में 15 दिन या उससे अधिक रहा हो तो उस अवधि के कर्मचारी को एक दिन का मानदेय देय होगा।

8. मानदेय आहरित करने से पूर्व में भी प्रत्येक कर्मचारी से (जिनको मानदेय देय है) ''अण्डर-टेकिंग'' ले ली जावे कि मानदेय अधिक भुगतान की स्थिति में अथवा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होने की स्थिति में ऐसी अधिक भुगतान की गई राशि जमा कराने के लिए कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होगा।

9. अन्य न्यायक्षेत्र से स्थानान्तरित होकर आये कर्मचारीगण को संबंधित न्यायक्षेत्र में उपस्थित देने की तिथि से ही मानदेय की गणना की जावेगी।

10. लोक अदालत के दिन जहां कर्मचारी पदस्थापित है, उनका मानदेय उसी न्यायालय से उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रख कर आहरित किया जावेगा।

भवदीय
Sd.
के.बी. कट्टा
सदस्य सचिव

क्रमांक :- 19861-20043 दिनांक 14 मार्च, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांक 672 दिनांक 20.2.2010 के संदर्भ में।
2. श्रीमान् प्रमुख निजी सचिव कम रजिस्ट्रार, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।

Sd.
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर